कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा (म0प्र0)

!! विविध–आदेश !!

कमांक 80 /तीन–16–1/2005 हरदा, दिनांक 22/12/2025

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा निर्धारित शीतकालीन अवकाश अवधि दिनांक 24.12.2025 से 31.12.2025 तक की अवधि में इस न्यायिक जिला स्थापना के न्यायिक अधिकारीगण का निम्नानुसार शीतकालीन अवकाश, मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है :–

क्रं0	पीठासीन अधिकारी का नाम एवं स्थान	अवकाश अवधि	मुख्यालय अनुमति	प्रथम प्रभार	द्वितीय एवं तृतीय प्रभार
01	श्री निसार अहमद, तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, हरदा	दिनांक 26.12 2025 एवं 27.12.2025 तक कुल 02 दिवस	दिनांक 24.12.2025 के न्यायालयीन समय पश्चात् से दिनांक 29.12.2025 के न्यायालयीन समय पूर्व तक पूर्ववर्ती एवं पश्चात्वर्ती दिनांक 25.12. 2025 एवं 28.12.2025 सार्वजनिक अवकाश मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।	श्री निमिष राजा, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, हरदा	श्री जयदीप सिंह,विशेष न्यायाधीश हरदा
02	श्री निमिष राजा, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, हरदा	दिनांक24.12.2025 एवं दिनांक 29.12.2025 से दिनांक 31.12.2025 तक कुल 04 दिवस, पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती सार्वजनिक अवकाश के लाभ व मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।	दिनांक 24.12.2025 एवं दिनांक 29.12.2025 से 31.12.2025 तक पूर्ववर्ती एवं पश्चात्वर्ती दिनांक 25.12.2025 एवं 28.12. 2025 सार्वजनिक अवकाश मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित।	श्री निसार अहमद, तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, हरदा	श्री जयदीप सिंह , विशेष न्यायाधीश हरदा
03.	श्री लवकेश सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदा	29.12.25 से 31.12.25 तक कुल 03 दिवस	27.12.25 सांयकाल से 02.01.26 के न्यायालय समय पूर्व तक	श्री एस0 के0 भदकारिया, जे.एम.एफ.सी. हरदा 29.12.25 से 31.12.25 तक	श्री संजीव राहंगडाले, जे.एम.एफ.सी., हरदा
04.	श्री एस0 के0 भदकारिया, जे.एम.एफ.सी., हरदा	26.12.25 से 27.12.25 कुल 02 दिवस	24.12.25 सांयकाल से 29.12.25 के न्यायालय समय पूर्व तक	श्री प्रेमदीप शाह, जे.एम.एफ.सी. हरदा 26.12.25 से 27.12.25 तक	सुश्री काजलसिंह पटेल, जे.एम.एफ.सी., हरदा
05.	श्री मोहित श्रीवास्तव, जे.एम.एफ.सी., खिरकिया	29.12.25 से 31.12.25 तक कुल 03 दिवस	27.12.25 सांयकाल से 02.01.26 के न्यायालय समय पूर्व तक	श्री एस0 के0 भदकारिया, जे.एम.एफ.सी. हरदा 29.12.25 से 31.12.25 तक	श्री संजीव राहंगडाले, जे.एम.एफ.सी., हरदा

Scanned with OKEN Scanner

06.	श्री संजीव राहंगडाले, जे.एम.एफ.सी. हरदा	26.12.25 से 27.12.25 कुल 02 दिवस	24.12.25 सांयकाल से 29.12.25 के न्यायालय समय पूर्व तक	श्री प्रेमदीप शाह, जे.एम.एफ.सी. हरदा 26.12.25 से 27.12.25 तक	सुश्री काजलसिंह पटेल, जे.एम.एफ.सी., हरदा
07.	श्री प्रेमदीप शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हरदा	29.12.25 से 31.12.25 तक कुल 03 दिवस	28.12.25 की रिमाण्ड ड्यूटी पश्चात् से 02.01.26 के न्यायालय समय पूर्व तक	श्री संजीव राहंगडाले जे.एम.एफ.सी. हरदा 28.12.25 से 31.12.25 तक	श्री एस0 के0 भदकारिया, जे.एम.एफ.सी., हरदा
08.	सुश्री नुपूर तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हरदा	26.12.25 से 27.12.25 तक कुल 02 दिवस	24.12.25 सांयकाल से 27.12.25 तक	सुश्री काजसिंह पटेल, जे.एम.एफ.सी. हरदा 26.12.25 से 27.12.25 तक	श्री प्रेमदीप शाह, जे.एम.एफ.सी., हरदा
09.	सुश्री काजलसिंह पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हरदा	29.12.25 से 31.12.25 तक कुल 03 दिवस	27.12.25 सांयकाल से 02.01.26 के न्यायालय समय पूर्व तक	श्री संजीव राहंगडाले, जे.एम.एफ.सी. हरदा 28.12.25 से 31.12.25 तक	श्री एस0 के0 भदकारिया, जे.एम.एफ.सी., हरदा

अतः अनुमोदित होवे तो –

1– उपरोक्त तालिका अनुसार वर्णित क्र. 01 लगायत 09 तक के न्यायिक अधिकारीगणका शीतकालीन अवकाश, मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

2. न्यायिक मजिस्ट्रेट निम्नलिखित शर्तों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे–

1. सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व अपने कार्य की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित कर मुख्यालय से प्रस्थान करेंगे।
2. न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी सहमति के आधार पर निष्पादित करेंगे
3. यह शीतकालीन प्रभार व्यवस्था शीतकालीन अवकाश के दौरान प्रभावशील रहेगी।
4. उक्त शीतकालीन अवधि में कोई भी मजिस्ट्रेट अपरिहार्य कारणो से अनुपस्थित रहते हैं तब उस न्यायालय का कार्य जिला मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठ मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जावेगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा (म0प्र0)

Scanned with OKEN Scanner

पृ0कमांक 1941 /तीन–16–1/2005 हरदा दिनांक 22/12/2025

प्रतिलिपि :–

01. विशेष न्यायाधीश, (एट्रोसिटीज), हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
02 प्रथम/द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
03 प्रथम/द्वितीय/अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, हरदा, टिमरनी एवं खिरकिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
04 प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, हरदा एवं टिमरनी की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
05 प्रस्तुतकार, न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
06 अध्यक्ष अभिभाषक संघ, हरदा, टिमरनी एवं खिरकिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
07 प्रशासनिक अधिकारी/कोर्ट मैंनेजर/उपप्रशासनिक अधिकारी की ओर सूचनार्थ।
08 लेखापाल, साख्यिकीय लिपिक की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

कृते– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा (म0प्र0)

Scanned with OKEN Scanner